रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 148] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 1999/चैत्र 2, 1921
No. 148] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 1999/CHAITRA 2, 1921

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1999

का० आ० 182 (अ).—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित मैट्रोपोलिटन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड का जो कि एक सरकारी कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय द्वितीय तल, 84 टी०टी०के० रोड, अलवर पेट, चिन्नई-600018 में स्थित है, सभी शहरी विकास स्कीमों के लिए सभी उपलब्ध स्त्रोतों को चैनलाइज करने तथा पूंजी योजना के लिए स्थानीय निकायों के लिए साम्यपूर्ण स्त्रोत आबंटन करने के लिए एक अस्तित्व बनाने के और नीति तैयार करने में समन्वय को तथा मेहनत एवं व्ययों की अवृत्ति को दूर कर घटी हुई लागत पर दक्षता से कृत्यों के निर्वहन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित तमिलनाडु अर्बन फाइनेन्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड के साथ जो कि एक सरकारी कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय द्वितीय तल, 84 टी०टी०के० रोड, अलवर पेट, चिन्नई-600018 में स्थित है, समामेलन किया जाए।

और मैट्रोपोलिटन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड ने तमिलनाडु फाइनेन्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड के साथ अपने समामेलन का अनुमोदन 5 मार्च, 1998 को हुए असाधारण साधारण अधिवेशन में कंपनी के शेयर धारकों द्वारा पारित संकल्प द्वारा कर दिया है।

और तमिलनाडु फाइनेन्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड, चिन्नई ने अपने साथ मैट्रोपोलिटन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के समामेलन का अनुमोदन 5 मार्च, 1998 को हुए असाधारण अधिवेशन में पूर्वोक्त कंपनी के शेयर धारकों द्वारा पारित संकल्प द्वारा कर दिया है।

और प्रस्तावित आदेश के प्रारूप की एक प्रति उक्त कंपनियों अर्थात् मैट्रोपोलिटन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड और तमिलनाडु अर्बन फाइनेन्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड को आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करते हुए दो समाचार पत्रों (एक अंग्रेजी में और अन्य क्षेत्रीय भाषा में) इसके प्रकाशन के लिए भेजी गई थी।

और मैसर्स मैट्रोपोलिटन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड के मैसर्स तमिलनाडु अर्बन फाइनेन्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड के साथ समामेलन की स्कीम फाइनेंसियल एक्सप्रैस में, जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र है और दिनमानी में जो, क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र है, 25 नवम्बर, 1998 को आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित की गई थी।

और समामेलन की स्कीम पर कोई सुझाव और आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 396 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैट्रोपोलिटन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड का तमिलनाडु अर्बन फाइनेन्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड के साथ समामेलन के लिए निम्नलिखित रूप में व्यवस्था करती है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मैट्रोपोलिटन इन्फ्रास्ट्रक्चर डैवेलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड और तमिलनाडु अर्बन फाइनेन्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 1999 है।

(2) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषा** :—इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको यह आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है,

(ख) "विघटित कंपनी" से मैट्रोपोलिटन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड अभिप्रेत है,

(ग) "परिणामी कंपनी" से तमिलनाडु अर्बन फाइनेन्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड अभिप्रेत है।

3. (क) 31 मार्च, 1997 को दोनों कंपनियों के शेयर धारण का पैटर्न—

(i) मैट्रोपोलिटन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमैंट कारपोरेशन लि०

क्रम सं०	शेयरधारकों के नाम	शेयरों की संख्या	रकम रु०
1.	गवर्नर तमिलनाडु, चेन्नई	2,99,99,920	29,99,99,200
2.	अन्य (आठ) जिनमें प्रत्येक के पास 10 शेयर हैं और जो तमिलनाडु के गवर्नर के नामनिर्देशिती हैं	80	800
	कुल	3,00,00,000	30,00,00,000

(ii) तमिलनाडु अर्बन फाइनेन्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमैंट कारपोरेशन लि०

क्रम सं०	शेयरधारकों के नाम	शेयरों की संख्या	रकम रु०
1.	गवर्नर तमिलनाडु, चेन्नई और उसके 10 नामनिर्देशिती	1,02,000	1,02,00,000
2.	110 अन्य	98,000	98,00,000
	कुल	2,00,000	2,00,00,000

(ख) विघटित कंपनी के सभी शेयर जो अब तमिलनाडु के गवर्नर और उसके नाम निर्देशितियों के नाम पर हैं, रद्द किए जाएंगे।

(ग) परिणामी कंपनी अर्थात् मैसर्स तमिलनाडु अर्बन फाइनेन्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड आदेश के प्रवृत्त होने पर 100 रुपए प्रत्येक के 30 लाख शेयर तमिलनाडु के गवर्नर और उसके नामनिर्देशितियों को जारी करेगी और नियत दिन को परिणामी कंपनी की शेयर पूंजी निम्नलिखित होगी :—

क्रम सं०	शेयरधारकों के नाम	शेयरों की संख्या	रकम रु०
1.	तमिलनाडु का गवर्नर और उसके नामनिर्देशिती	31,02,000	31,02,00,000
2.	110 अन्य	98,000	98,00,000
	कुल	32,00,000	32,00,00,000

4. **कम्पनियों का समामेलन** : (1) नियत दिन से ही मैट्रोपोलिटन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमैंट कारपोरेशन लि० का समस्त कारबार, जैसा भी है, जिसके अन्तर्गत सभी संपत्तियां चाहे जंगम हो स्थावर और अन्य आस्तियां हैं चाहे ये जिस प्रकृति की हों, जिसके अन्तर्गत मशीनरी और सभी स्थिर आस्तियां, पट्टे, अभिवृत्ति, अधिकार, शेयरों में या अन्यथा विनिधान, व्यापार स्टॉक, कर्मशाला औजार, अभिवहन में माल, सभी किस्म के धनों के अग्रिम सभी प्रकार के रुपी खाता ऋण, बकाया धन, वसूली योग्य दावे, करार, औद्योगिक और अन्य अनुज्ञप्तियां और परमिट, आयात और अन्य अनुज्ञप्तियां, आशय पत्र और

प्रत्येक वर्णन के सभी अधिकार और शक्तियां आती हैं। किन्तु विघटित कम्पनी की उक्त सम्पत्तियों को प्रभावित करने वाली सभी बंधक और प्रभार और आडमान प्रत्याभूतियां और किसी भी प्रकार के सभी अधिकारों के अधीन रहते हुए बिना किसी आगे की कार्रवाई और कृत्य के प्रवृत्ति विधि के अनुसार परिणामी कम्पनी को अन्तरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे या अन्तरित समझी जाएंगी उसमें निहित समझे जाएंगे।

(2) लेखाकर्म के प्रयोजनों के लिए, समामेलन उक्त दोनों कम्पनियों के 31-3-1997 को संपरीक्षित लेखाओं और तुलनपत्रों के प्रति निर्देश से प्रभावी किया जाएगा और उसके पश्चात् के संव्यवहार एक शामिलाती खाते में पूल किए जाएंगे। विघटित कम्पनी से किसी पश्चातवर्ती तारीख को उसके अन्तिम खाते तैयार करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और परिणामी कम्पनी 01-04-1997 तुलन पत्र के अनुसार सभी आस्तियां और दायित्व ग्रहण करेगी और उसके पश्चात् के सभी संव्यवहारों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करेगी।

स्पष्टीकरण—विघटित कम्पनी के कारबार के अन्तर्गत विकास रिबेट आरक्षित, यदि कोई है, सभी अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार और सभी सम्पत्ति चाहे जंगम हो या स्थावर आती है जिसके अन्तर्गत नकद अतिशेष आरक्षितियां राजस्व अधिशेष, विनिधान, ऐसी सम्पत्ति में या उससे उद्भूत सभी अन्य हित और अधिकार, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विघटित कम्पनी के हों या उसके कब्जे में हों और उससे संबंधित सभी बहियां, लेखे और दस्तावेज और विघटित कम्पनी तब विद्यमान किसी भी किस्म के सभी ऋण, दायित्व, कर्तव्य और बाध्यताएं भी आते हैं।

5. **सम्पत्ति की कुछ मदों का अन्तरण :** इस आदेश के प्रयोजन के लिए, नियत दिन को विघटित कम्पनी के सभी लाभ या हानियां, या दोनों, यदि कोई है, और विघटित कम्पनी की राजस्व आरक्षितियां या कमियां या दोनों, यदि कोई है, जब परिणामी कम्पनी को अन्तरित होती हैं तो वे परिणामी कम्पनी के, यथास्थिति, क्रमश: या हानियों और राजस्व आरक्षितियों या कमियों का मानरूप होंगे।

6. **संविदाओं आदि की व्यावृत्ति :** इस आदेश में अन्तर्विष्ट अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी संविदाएं, विलेख बंधपत्र, करार और किसी भी प्रकृति के अन्य लिखित जिसकी विघटित कम्पनी पक्षकार है, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान हैं या प्रभाव रखते हैं, परिणामी कम्पनी के विरुद्ध या उसके पक्ष में पूर्णत: बलशील और प्रभावी होंगे और उन्हें वैसे ही पूर्ण और प्रभावी रूप में प्रवृत्त किया जा सकेगा, मानो परिणामी कम्पनी उसकी एक पक्षकार रही हो।

7. **विधिक कार्यवाहियों की व्यावृत्ति :** यदि नियत दिन को विघटित कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन, अपील या किसी भी प्रकृति की अन्य विधिक कार्यवाईयां लम्बित हों, तो विघटित कम्पनी के उपक्रम के परिणामी कम्पनी को अन्तरण हो जाने या इस आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण उसका उपशमन नहीं होगा या वह रोकी नहीं जाएगी या किसी भी प्रकार से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी, किन्तु वाद, अभियोजन, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही उसी रीति से और उसी सीमा तक परिणामी कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी, अभियोजन किया जा सकेगा और प्रवृत्त की जा सकेगी जिस प्रकार यदि यह आदेश न बनाई गई होती तो विघटित कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रहती, अभियोजित किया जाता और प्रवृत्त रहती ।

8. **कराधान की बाबत उपबंध :** नियत दिन के पूर्व विघटित कम्पनी द्वारा किए गए कारोबार के लाभों और अभिलाभों (जिसके अन्तर्गत संचित हानियां और अनामेलित अवक्षयण भी हैं) की बाबत सभी कर, परिणामी कम्पनी द्वारा ऐसी रियायतों और राहतों के अधीन रहते हुए संदेय होंगे, जो इस समामेलन के परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन अनुज्ञात की जाएं।

9. **विघटित कम्पनी के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की बाबत उपबन्ध :** विघटित कम्पनी में नियत दिन के ठीक पूर्व नियोजित प्रत्येक पूर्णकालिक अधिकारी या अन्य कर्मचारी (विघटित कम्पनी के अन्य निदेशकों को छोड़कर) नियत दिन से ही परिणामी कम्पनी का, यथास्थिति, अधिकारी या कर्मचारी हो जाएगा और उसमें अपना पद या अपनी सेवा उसी अवधि के लिए और उन्हीं निबन्धनों/शर्तों पर और वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा जो वह विघटित कम्पनी में धारण करता यदि यह आदेश न किया गया होता और तब तक ऐसा करता रहता जब तक कि परिणामी कम्पनी में उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता है या पारस्परिक सहमति द्वारा उसका पारिश्रमिक और नियोजन की शर्तों में सम्यक् रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है।

10. **निदेशकों की स्थिति :** विघटित कम्पनी का प्रत्येक निदेशक, जो नियत दिन के ठीक पूर्व उस रूप में पद धारण किए हुए है, नियत दिन को विघटित कम्पनी का निदेशक नहीं रह जाएगा।

11. **भविष्य निधि, अधिवार्षिता, कल्याण और अन्य निधियां :** आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों की अनुपालना के अधीन रहते हुए विघटित कम्पनी द्वारा उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कल्याण निधि किसी अन्य निधियों के न्यासी नियत दिन को न्यास की निधियों का अन्तरण परिणामी कम्पनी को करेंगे जो ठीक नियत दिन से उपरोक्त धन का एक या अधिक न्यासों में गठन करेंगे जिनके उद्देश्य, निबन्धन और शर्तें वही होंगी जो विद्यमान न्यासों की है या उक्त विद्यमान निधियों का परिणामी कम्पनी के तत्स्थानी एक या अधिक न्यासों को अन्तरण किया जा सकेगा और विघटित कम्पनी तथा परिणामी कम्पनी द्वारा स्थापित न्यासों के हिताधिकारियों के अधिकारों और हितों को किसी भी रूप में कम या प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा।

12. **भविष्य निधि की सदस्यता :** विघटित कम्पनी के सभी अधिकारी और कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की स्कीम के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि न्यास के सदस्य बने रहेंगे जिसके वे सदस्य हैं और परिणामी कम्पनी, के राजपत्र में आदेश के

प्रकाशन की तारीख से इन अधिकारियों और कर्मचारियों की बाबत उक्त कर्मचारी भविष्य निधि में नियोजक का अभिदाय उसी दर से करेंगी और करती रहेंगी जिस दर से विघटित कम्पनी करती रही है।

13. **मेट्रोपोलिटन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कापोरेशन लिमिटेड का विघटन:**—इस स्कीम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए नियत दिन से ही मेट्रोपोलिटन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का विघटन हो जायगा और कोई व्यक्ति विघटित कम्पनी के विरुद्ध या उसके किसी निदेशक या अधिकारी के विरुद्ध उसकी ऐसे निदेशक या अधिकारी की हैसियत में न तो कोई दावा करेगा, न ही कोई मांग करेगा और न ही कोई कार्यवाही करेगा, सिवाय यहां तक जहां तक की इस आदेश के उपबन्धों को प्रवृत करने के लिए आवश्यक हो।

14. **कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा आदेश का रजिस्ट्रीकरण:**—केन्द्रीय सरकार इस आदेश के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र चेन्नई तमिलनाडु स्थित कम्पनी रजिस्ट्रार को आदेश की एक प्रति भेजेगी जिसकी प्राप्ति पर कम्पनी रजिस्ट्रार, चेन्नई परिणामी कम्पनी द्वारा विहित फीस का संदाय किए जाने पर आदेश को रजिस्टर करेगा और इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर उसके रजिस्ट्रीकरण को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा। तत्पश्चात कम्पनी तमिलनाडु सरकार विघटित कम्पनी के संबंध में उसके पास रजिस्ट्रीकृत अभिलिखित या फाइल किए गए सभी दस्तावेज तमिलनाडु अर्बन फाइनेन्स इन्फास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटिड जिसके साथ उसका समामेलन किया गया है, की फाइल में रखेगा और इन्हें समेकित करेगा और इस प्रकार समेकित सभी दस्तावेजों को अपनी फाइल में रखेगा।

15. **परिणामी कम्पनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद:**—तमिलनाडु अर्बन फाईनेन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद जिस रूप में वे नियत दिन के पूर्व विद्यमान है, नियत दिन से परिणामी कम्पनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद हो जाएंगे।

[फा० सं० 24/4/98-सी०एल०-III]
आर० डी० जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

ORDER

New Delhi, the 23rd March, 1999

S.O. 182(E).—Where as the Central Government is satisfied that it is essential in the public interest that the Metropolitan Infrastructure Development Corporation Ltd., a Government company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) having its registered office at IInd floor, 84 T.T.K. Road, Alwarpet, Chennai-600018 be amalgamated with the Tamilnadu Urban Finance and Infrastructure Development Corporation Ltd., a Government company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) having its registered office at IInd, floor, 84 T.T.K. Road, Alwarpet, Chennai-600018 for the purpose to form a single entity to channelise all the available resources for all urban development schemes and for equitable resources allocation to local bodies for capital programme and to ensure coordination in evolving a policy and discharge of functions with efficiency at reduced cost by aliminating duplicacy of efforts and expenses.

AND WHEREAS the Metropolitan Infrastructure Development Corporation Ltd., has approved its amalgamation with the Tamilnadu Urban Finance and Infrastructure Development Corporation Ltd., by resolution passed by the shareholders of the company in the Extraordinary General Meeting held on the 5th march, 1998.

AND WHEREAS, the Tamilnadu Urban Finance and Infrastructure Development Corporation Ltd., Chennai approved the amalgamation with it of the Metropolitan Infrastructure Development Corporation Ltd., Chennai, by resolution passed by the shareholders of the former company in the Extraordinary General Meeting held on the 5th March, 1998.

AND WHEREAS a copy of the proposed Order was sent in draft to the aforesaid companies namely, the Metropolitan Infrastructure Development Corporation Ltd., and the Tamilnadu Urban Finance and Infrastructure Development Corporation Ltd., for its publication in two newspapers (one in English and the other in Regional language) inviting objections or suggestions;

AND WHEREAS, the scheme of amalgamation of M/s. Metropolitan Infrastrucre Development Corporation Limited with M/s. Tamilnadu Urban Finance and Infrastructure Development Corporation Limited was published on 25th November, 1998 in Financial Express, being a newspaper published in English language and in Dinamani being a newspaper published in Regional language for inviting objections and suggestions;

AND WHEREAS no objections and suggestions have been received on the scheme of amalgamation.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferrted by sub-section (1) and (2) of section 396 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby provides for the amalgamation of the Metropolitan Infrastructure

Development Corporation Ltd., with Tamilnadu Urban Finance and Infrastructure Development Corporation Ltd., as follows, namely :—

1. **Short Title and Commencement :**—(1) This order may be called the Metropolitan Infrastructure Development Corporation Ltd., and the Tamilnadu Urban Finance and Infrastructure Development Corporation Ltd., Amalgamation Order, 1999.

(2) This order shall come in to force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions :**—In this order, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointed Day" means the date on which this order is notified in the Official Gazette.

(b) "Dissolved Company" means the Metropolitan Infrastructure Development Corporation Ltd.,

(c) "Resulting Company" means Tamilnadu Urban Finance and Infrastructure Development Corporation Ltd.,

3. (a) The shareholding pattern as on the 31st March, 1997 of the two companies —

(I) Metropolitan Infrastructure Development Corporation Limited :—

Sl. No.	Names of shareholders	No. of Shares	Amount
			Rs.
1.	The Governor of Tamilnadu, Chennai	2,99,99,920	29,99,99,200
2.	Other (Eight) holding 10 shares each who are nominees of Governor of Tamilnadu.	80	800
	Total	3,00,00,000	30,00,00,000

(II) Tamilnadu Urban Finance and Infrastructure Development Corp. Ltd.

Sl. No.	Names of shareholders	No. of Shares	Amount
			Rs.
1.	The Governor of Tamilnadu, Chennai and his 10 nominees	1,02,000	1,02,00,000
2.	110 others	98,000	98,00,000
	Total	2,00,000	2,00,00,000

(a) All the shares of the dissolved company which are now held in the name of Governor of Tamilnadu and his nominees shall be cancelled.

(b) The resulting company viz. M/s. Tamilnadu Urban Finance and Infrastructure Development Corporation Limited shall issue 30 lacs shares of Rs. 100/- each to Governor of Tamilnadu and his nominees upon coming into effect of the Order and the share capital of resulting company on the appointed day shall be as under :—

Sl. No.	Names of shareholders	No. of Shares	Amount
			Rs.
1.	The Governor of Tamilnadu, Chennai and his nominees	31,02,000	31,02,00,000
2.	110 others	98,000	98,00,000
	Total	32,00,000	32,00,00,000

4. **Amalgamation of Companies :**—(i) On and from the appointed day, the entire business of the Metropolitan Infrastructure Development Corporation Ltd., as it is including all the properties, or movable immovable and other assets of whatsoever nature, including machinery and all fixed assets, leases, tenancy, rights, Investments in shares or otherwise, stock-in-trade, workshop tools, goods-in-transit, advances of all kinds monies, all kinds of book debts, outstanding monies, recoverable claims, agreements industrial and other licences and permits, imports and other licences, letters of intent and all rights and powers of every description, but subject to all mortgages and charges and hypothecation, guarantees, and all rights whatsoever,

effecting the said properties of dissolved company shall without further act or deed be transferred to and vest in or deemed to be transferred to and vest in the resulting company in accordance with law in force.

(ii) For accounting purposes, the amalgamation shall be effected with reference to the audited accounts and balance sheets as at 31-03-1997 of the said two companies and the transactions thereafter shall be pooled into a common account. The dissolved company shall not be required to prepare its final accounts as on any latter date and the resulting company shall take over all assests and liabilities according to the balance sheet as on the 01-04-1997 of dissolved company and accept full responsibility for all transactions thereafter.

Explanation :—The business of the dissolved company shall include Development Rebate Reserve, if any, all rights, powers, authorities and privileges and all property movable or immovable including cash balance reserves revenue balances, investments, all other interests and rights in or arising out of such property as may belong to or be in the possession of the dissolved company immediately before the appointed day and all books, accounts and documents relating thereto and also all debts, liabilities, duties and obligations of whatever kind then existing of the dissolved company.

5. **Transfer of certain items of property :**—For the purpose of this Order, all the profits or losses, or both, if any, of the dissolved company as on the appointed day, and the revenue reserves or deficits or both if any, of the dissolved company when transferred to the resulting company shall respectively form part of the profits or losses and the revenue reserves of deficits, as the case may be, of the resulting company.

6. **Saving of contracts etc. :**—Subject to the other provisions contained in this Order, all contracts, deeds, bonds agreements and other instruments of whatever nature to which the dissolved company is a party, subsisting or having effect immediately before the appointed day, shall have full force and effect, against or in favour of the resulting company and may be enforced as fully and effectually as if, the resulting company had been a party thereto.

7. **Saving of legal proceedings :**—If on the appointed day, any suit, prosecution, appeal or other legal proceedings of whatever nature by or against the dissolved company be pending, the same shall not abate or be discontinued, or be in any way prejudicially affected by reasons of the transfer to the resulting comapny of the undertaking of dissolved comapny or of anything contained in this Order, but the suit, prosecution, appeal or other legal proceedings may be continued, prosecuted and enforced by or against the resulting comapny in the same manner and to the same extent as it would have or may be continued, prosecuted and enforced by or against the dissolved company if this order had not been made.

8. **Provision with respect to taxation:**—All taxes in respect of profits and gains (including accumulated losses and unobserved depreciation) of the business carried on by the dissolved company before the appointed day shall be payable by the resulting company subject to such concessions and reliefs as may be allowed under Income tax Act, 1961 (43 of 1961) as a result of this amalgamation.

9. **Provisions respecting officers and other employees of the dissolved company:**—Every wholetime officer or other employee (excluding the Directors of the dissolved company) employed immediately before the appointed day, in the dissolved company shall as from the appointed day, become an officer or employee, as the case may be of the resulting company and shall hold his/her office or service therein by the same tenure and upon the same terms/conditions and with the same rights and privileges as he/she would have held the same under the dissolved company, if this Order had not been made, and shall continue to do so unless and until his/her employment in the resulting company is duly terminated or until his/her remuneration and conditions of employment are duly altered by mutual consent.

10. **Position of Directors:**—Every Director of the dissolved company holding office as such immediately before the appointed day shall cease to be a director of the dissolved company on the appointed day.

11. **Provident, Superannuation, Welfare and other Funds:**—Subject to the compliance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 the Trustees of the Provident Fund or Superannuation Fund or Welfare Fund and any other funds established by the dissolved company for the benefit of its officers and employees shall transfer funds of the Trust as on the appointed day to the resulting company, who shall immediately from the appointed day constitute the above moneys into one or more trusts with the objects, terms and conditions similar to those of the existing trust (s) or the said existing funds may be transferred to one or more corresponding trust of the resulting company and the rights and interests of the beneficiaries of the trust(s) established by the dissolved company and resulting company shall not in any way be diminished or prejudiced.

12. **Membership of the Provident Fund:**—All officers and employees of the dissolved company shall continue to be members of the Employees's Provident Fund under the scheme of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) of which they are members and resulting company shall with effect from the appointed day of publication of the Order in the Official Gazette make and continue to make the employer's contributions to the said employee's Provident Fund in respect of these officers and employees at the same rates as were being made by the dissolved company.

13. **Dissolution of the Metropolitan Infrastructure Development Corporation Ltd:**—Subject to the other provisions of the Scheme, as from the appointed day, the Metropolitan Infrastructure Development Corporation Ltd., shall be dissolved and no person shall make, assert or take any claims, demands or proceedings against the dissolved company or against a Director or any Officer thereof in his capacity as such Director or Officer, except in so far as may be necessary for enforcing the provisions of this Order.

14. **Registration of the Order by the Registrar of Companies:**—The Central Government shall as soon as, may be after the Order is notified in the Official Gazette, send to the Registrar of Companies, Tamil Nadu, Chennai a copy of the Order, on receipt of which the Registrar of Companies, Chennai shall register the order on payment of the prescribed fees by the resulting company and certify under his hand the registration thereof within one month from the date of receipt of a copy of the Order. Thereafter the Registrar of Companies, Tamilnadu, Chennai shall place all documents registered, recorded or filed with him relating to the dissolved company on the file of the Tamilnadu Urban Finance Infrastructure & Development Corporation Ltd. with whom the dissolved company has been amalgamated and consolidate these and shall keep such consolidated documents on his file.

15. **Memorandum and Articles of Association of the Resulting Company:**—The Memorandum and Articles of Association of the Tamilnadu Urban Finance Infrastructure and Development Corporation Ltd. as they stood immediately before the appointed day shall, as from the appointed day, be the Memorandum and Articles of Association of the resulting company.

[F.No. 24/04/98/CL-III]

R.D. JOSHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054